19/9/25

न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

क्रमांक /कोर्ट/2025/850

दिनांक 26/9/25

श्री नीरज कुमार जैन
निवासी ई–670, रनजीत नगर
जिला भरतपुर
मो न0 9828773671

विषयः—अपील संख्या 59/2025 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उनवानी **श्री नीरज कुमार जैन बनाम लो.सू. अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भरतपुर** में निर्णय की प्रति भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील में **निर्णय दिनांक 19.09.2025** की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः— निर्णय प्रति एवं लोक सू0अ0 से प्राप्त पत्रादि की प्रति

आज्ञा से

रीडर
जिला कलक्टर,
भरतपुर

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 59 / 2025

नीरज कुमार जैन निवासी ई–670 रनजीत नगर, भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 19.09.2025**

नीरज कुमार जैन निवासी ई–670 रनजीत नगर, भरतपुर की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील सं0 060539321960305 इस आश्य की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 774 दिनांक 04.09.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक आरटीआई / 2025 / 1024 दिनांक 16.09.2025 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी / प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई हैं, प्रार्थी ने चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर ने अपने जबाब दिनांक 16.09.2025 में उल्लेख किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक पी.ए. / आरटीआई / 2025 / 535 दिनांक 08.07.2025 से वांछित सूचना नियमानुसार सम्बन्धित को उपलब्ध करा दी गई है। अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर

......2

लोक सूचना अधिकारी के उक्त जबाब से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा बिन्दुवाईज जबाब दिया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना दिया जाना लम्बित नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर

कलक्ट्रेट परिसर ,भरतपुर, E-mail :- sdmbha-bha@rajasthan.gov.in

क्रमांक : आरटीआई / 2025 / 1024 दिनांक: 26/09/25

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
भरतपुर।

विषय :–अपील संख्या 59 / 2025 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नीरज कुमार जैन निवासी ई–670 रनजीत नगर, भरतपुर बनाम उपखण्ड अधिकारी भरतपुर।

सन्दर्भः– श्रीमान का पत्रांक कोर्ट / 25 / 774 दिनांक 04.09.2025

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री नीरज कुमार जैन निवासी ई–670 रनजीत नगर, भरतपुर द्वारा सूचना प्रदान करने हेतू प्राप्त ऑनलाईन आवेदन संख्या 060705059144338 द्वारा बिन्दुवार सूचना चाही गई थी जिसमें वांछित सूचना बिन्दुवार अपीलार्थी को कार्यालय पत्रांक 535 दिनांक 08.07.2025 को ऑनलाईन / ऑफलाइन उपलब्ध करा दी गई है। सुलभ सन्दर्भ हेतु सूचना की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

कार्यालय : उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर

Mail ID – sdmbha-bha@rajasthan.gov.in Phone Number 05644.222476

दिनांक : 08/07/25

क्रमांक : पी.ए. / आरटीआई / 2025 / 535

श्री नीरज पुत्र श्री माहवीर प्रसाद जैन
ई–670 वार्ड नम्बर 48 ई ब्लॉक
रण्जीत नगर भरतपुर
मोबाइल नम्बर 9828773671

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बावत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु आपका प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुसार 04 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार हैः–

1. बिन्दु संख्या 1, जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास, ओबीसी स्टेट / सेन्टर प्रमाण, एससी स्टेट / सेन्टर प्रमाण पत्र, एसटी स्टेट / सेंटर प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस स्टेट / सेन्टर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करते समय जो दस्तावेज संलग्न किये जाते है उनकी सूची / आदेश / परिपत्र की प्रति वेबसाईट Sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अतः वेबसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

2. बिन्दु संख्या 2 व 3 दिनांक 01.01.2013 से आज दिनांक तक मूल निवास, ओबीसी स्टेट / सेन्टर प्रमाण पत्र, एससी स्टेट / सेन्टर प्रमाण पत्र, एसटी स्टेट / सेंटर प्रमाण पत्र के जारी होने की संख्या एवं जारी होने के उपरान्त निरस्त किए गए प्रमाण पत्रों की संख्या से अवगत करावें साथ ही जारी होने के उपरान्त निरस्त किए गए प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति मय आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रति भी उपलब्ध करावें। बिन्दु संख्या 02 के अनुसार समस्त प्रमाण पत्र संबंधित आवेदक द्वारा ई–मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन ऑनलाईन प्राप्त होने पर प्रमाण पत्र जारी करने / निरस्त करने की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन है। इस बिन्दु से संबंधित अन्य सूचनायें इस कार्यालय में संधारित नही है।

4. मूल निवास, ओबीसी स्टेट / सेन्टर प्रमाण, एससी स्टेट / सेन्टर प्रमाण पत्र, एसटी स्टेट / सेंटर प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस स्टेट / सेन्टर प्रमाण पत्र जारी करने की निर्धारित समय सीमा हेतु राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 का अवलोकन करें। इस बिन्दु से संबंधित अन्य सूचनायें इस कार्यालय में संधारित नही है।

पत्र सूचनार्थ प्रेषित है।

लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर